



चाधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
CH. CHARAN SINGH UNIVERSITY, MEERUT

पत्रांक : शैक्षणिक/2780
दिनांक : 16/08/2022

कार्यालय आदेश

विश्वविद्यालय विद्वत परिषद की बैठक दिनांक 01.08.2022 की मद सं० 07 व विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 02.08.2022 की मद संख्या 02 के सापेक्ष पारित संकल्पानुसार कुलसचिव महोदय के पत्र दिनांक 30.07.2022 द्वारा अवगत कराया गया कि अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या-1992/सत्तर-3-2022, दिनांक 21 जुलाई, 2022 को कुलसचिव कार्यालय के पत्र संख्या-पी०ए०/5650, दिनांक 28.07.2022 द्वारा प्र० हरे कृष्ण, सांख्यिकी विभाग, चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को प्रेषित किया गया, जिसमें उनके द्वारा अवगत कराया गया कि शासन के पत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के क्रियान्वयन हेतु बिन्दु संख्या-2 में वर्णित 17 कार्यों को विश्वविद्यालय के विभिन्न प्रकोष्ठों व समितियों द्वारा किया जाना है, इनमें कतिपय कार्य नीतिगत निर्णय हैं, जो विद्वत परिषद के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विद्वत परिषद द्वारा शासन के पत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के क्रियान्वयन हेतु बिन्दु संख्या-2 में वर्णित 17 कार्यों को विश्वविद्यालय के विभिन्न प्रकोष्ठों व समितियों द्वारा किये जाने हेतु प्र० हरे कृष्ण, आचार्य, सांख्यिकी विभाग को अधिकृत किया, जो अपनी आख्या विद्वत परिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत करेगी:-

कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव कुलपति, मा० कुलपति जी के सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रभारी प्रतिकुलपति कार्यालय, प्रतिकुलपति जी के सूचनार्थ प्रेषित।
3. आशुलिपिक कुलसचिव, कुलसचिव जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।
4. वित्त अधिकारी, चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
5. प्र० हरे कृष्ण, आचार्य, सांख्यिकी विभाग, चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर, मेरठ।
6. सहा० कुलसचिव, परीक्षा विभाग, चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
7. प्रवेश समन्वयक, चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
8. प्रभारी वैबसाईट, चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
9. प्रभारी, कमेटी सैल, चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

कुलसचिव



चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
CH. CHARAN SINGH UNIVERSITY, MEERUT

पत्रांक : शैक्षणिक / 2448
दिनांक : 18/08/2022

कार्यालय आदेश

विश्वविद्यालय विद्वत परिषद की बैठक दिनांक 01.08.2022 की मद सं० 05 व विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 02.08.2022 की मद संख्या 02 के सापेक्ष पारित संकल्पानुसार विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत विभिन्न/पाठ्यक्रमों विषयों के सेलेबस संवर्धन, आर्डिनेन्स, नियम इत्यादि के सम्बन्ध में बोर्ड ऑफ स्टडीज द्वारा लिये गये निर्णयानुसार पाठ्यक्रमों/विषयों के संवर्धित सिलेबस इत्यादि का निम्न विवरणानुसार अनुमोदन प्रदान किया जाना। जो विद्वत परिषद के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

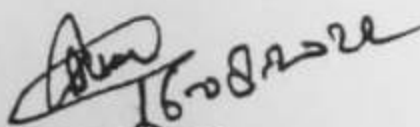
S.No.	Date of B.O.S.	Subject
1.	16.07.2022	Education (Affiliated College & University Campus)
2.	20.07.2022	Law (Diploma in Cyber Crime and Laws) (Affiliated College & University Campus)

विद्वत परिषद द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अन्तर्गत संशोधित संवर्धित पाठ्यक्रम सत्र 2022-23 से लागू किए जाने का निर्णय लिया गया।

कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव कुलपति, मा० कुलपति जी के सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रभारी प्रतिकुलपति कार्यालय, प्रतिकुलपति जी के सूचनार्थ प्रेषित।
3. आशुलिपिक कुलसचिव, कुलसचिव जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।
4. वित्त अधिकारी, चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
5. विभागाध्यक्ष, शिक्षा विभाग, चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर, मेरठ।
6. समन्वयक, विधि अध्ययन विभाग, चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
7. सहा० कुलसचिव, परीक्षा विभाग, चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
8. प्रवेश समन्वयक, चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
9. प्रभारी वैबसाईट, चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
- 10- प्रभारी, कमेटी सैल, चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।


कुलसचिव



चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
CH. CHARAN SINGH UNIVERSITY, MEERUT

पत्रांक : शैक्षणिक / 2476
दिनांक : 18/08/2022

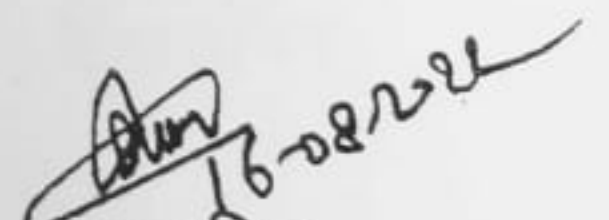
कार्यालय आदेश

विश्वविद्यालय विद्वत परिषद की बैठक दिनांक 01.08.2022 की मद सं० 03 व विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 02.08.2022 की मद संख्या 02 के सापेक्ष पारित संकल्पानुसार विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत विभिन्न/पाठ्यक्रमों विषयों के सेलेबस संवर्धन, आर्डिनेन्स, नियम इत्यादि के सम्बन्ध में बोर्ड ऑफ स्टडीज द्वारा लिये गये निर्णयानुसार पाठ्यक्रमों/विषयों के संवर्धित सिलेबस इत्यादि के सम्बन्ध में विद्वत परिषद की बैठक दिनांक 30.06.2022 में जिन पाठ्यक्रमों को अनुमोदन प्रदान किया गया है, को सत्र 2022-23 से लागू किए जाने हेतु प्रकरण विद्वत परिषद के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के उपर्युक्त स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को मात्र विश्वविद्यालय परिसर में सत्र 2022-23 से संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया।

कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव कुलपति, मा० कुलपति जी के सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रभारी प्रतिकुलपति कार्यालय, प्रतिकुलपति जी के सूचनार्थ प्रेषित।
3. आशुलिपिक कुलसचिव, कुलसचिव जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।
4. वित्त अधिकारी, चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
5. समस्त विभागाध्यक्ष/समन्वयक, चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर, मेरठ।
6. सहा० कुलसचिव, परीक्षा विभाग, चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
7. प्रवेश समन्वयक, चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
8. प्रभारी वेबसाइट, चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
9. प्रभारी, कमेटी सैल, चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।


कुलसचिव



चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ CH. CHARAN SINGH UNIVERSITY, MEERUT

पत्रांक : शैक्षणिक/2779

दिनांक : 18/08/2022

कार्यालय आदेश

विश्वविद्यालय विद्वत परिषद की बैठक दिनांक 01.08.2022 की मद सं० 06 व विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 02.08.2022 की मद संख्या 02 के सापेक्ष पारित संकल्पानुसार उर्दू विभाग, चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर, मेरठ में वर्ष 2022-23 से एन०ई०पी० के अन्तर्गत प्रवेश प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में उर्दू विभागाध्यक्ष के पत्र दिनांक 23.07.2022 पर मा० कुलपति जी के आदेश के क्रम में संकायाध्यक्षों की बैठक में उर्दू पाठ्यक्रम में एन०ई०पी० के अन्तर्गत बी०ए० पाठ्यक्रम हेतु निम्नांकित दो विषय समूह निर्धारित किये गये। इनमें प्रत्येक विषय समूह में 10-10 विद्यार्थियों का प्रवेश लिया जायेगा :-

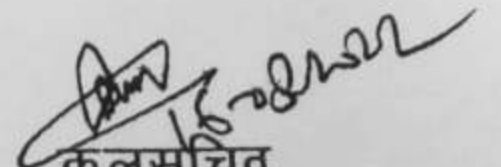
1. Urdu, History, Economics - 10
2. Urdu, Sociology, Political Science - 10

प्रकरण विद्वत परिषद के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विद्वत परिषद द्वारा नई शिक्षा नीति-2020 के तहत प्राप्त उपरोक्त उर्दू पाठ्यक्रम में पाठ्यक्रमों को एन०ई०पी० के अन्तर्गत बी०ए० पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित दो विषय समूहों को उपरोक्तानुसार सत्र 2022-23 से संचालित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव कुलपति, मा० कुलपति जी के सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रभारी प्रतिकुलपति कार्यालय, प्रतिकुलपति जी के सूचनार्थ प्रेषित।
3. आशुलिपिक कुलसचिव, कुलसचिव जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।
4. वित्त अधिकारी, चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
5. विभागाध्यक्ष, उर्दू विभाग, चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर, मेरठ।
6. सहा० कुलसचिव, परीक्षा विभाग, चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
7. प्रवेश समन्वयक, चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
8. प्रभारी वेबसाइट, चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
9. प्रभारी, कमेटी सैल, चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।


कुलसचिव



चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

CH. CHARAN SINGH UNIVERSITY, MEERUT

पत्रांक : शैक्षणिक / 2444
दिनांक : 18/08/2022

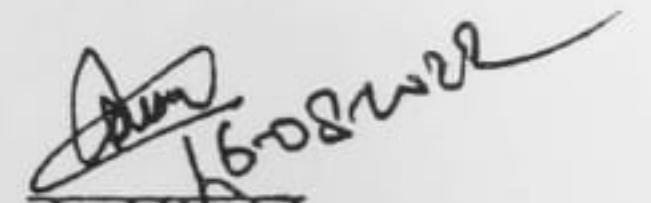
कार्यालय आदेश

विश्वविद्यालय विद्वत् परिषद की बैठक दिनांक 01.08.2022 की मद सं० 04 व विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 02.08.2022 की मद संख्या 02 के सापेक्ष पारित संकल्पानुसार Honorary Emeritus Professor हेतु परिनियम 10.03 के सापेक्ष अध्यादेश का निर्माण कुलपति जी द्वारा गठित संकायाध्यक्षों की समिति द्वारा किया गया है, जिसमें Honorary Emeritus Professor हेतु अर्हता एवं कार्यविधि को निष्पादित किया गया है। प्रकरण विद्वत् परिषद के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विद्वत् परिषद द्वारा उपरोक्त गठित संकायाध्यक्ष समिति द्वारा प्राकपित अध्यादेश को स्वीकार करते हुए Honorary Emeritus Professor हेतु अर्हता एवं कार्यविधि को निष्पादित किये जाने का निर्णय लिया गया।

कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव कुलपति, मा० कुलपति जी के सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रभारी प्रतिकुलपति कार्यालय, प्रतिकुलपति जी के सूचनार्थ प्रेषित।
3. आशुलिपिक कुलसचिव, कुलसचिव जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।
4. वित्त अधिकारी, चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
5. समस्त विभागाध्यक्ष/समन्वयक, चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर, मेरठ।
6. सहा० कुलसचिव, परीक्षा विभाग, चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
7. प्रवेश समन्वयक, चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
8. प्रभारी वेबसाईट, चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
9. प्रभारी, कमेटी सैल, चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।


कुलसचिव